



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 240 राँची, मंगलवार, 10 वैशाख, 1946 (श०)
30 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

13 मार्च, 2024

संख्या-8/आरोप-12/2017 का० 1997-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विजय कुमार भगत, तत्कालीन अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सम्प्रति-उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक-2534 दिनांक-16.06.2017 द्वारा प्रशासी विभाग की संचिका भा०व०से० (आ०)-133/2003 को ढाई साल से अधिक अवधि तक दबाकर रखने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए साक्ष्य सहित आरोप-पत्र गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई ।

2 आरोप पत्र में श्री भगत के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है:-

(i) श्री नरेन्द्र मिश्रा, भा०व०से० (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध वन विभाग में उनके पदस्थापन काल के दौरान बरती गई अनियमितता से सम्बन्धित संचिका संख्या-भारतीय वन सेवा की संचिका-भा०व०से०(आ०)-133/2003 को ढाई साल से अधिक दबा कर रखना ।

3. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-7596 दिनांक-28.06.2027 द्वारा श्री भगत से आरोप के सम्बन्ध में बचाव-बयान की माँग की गई तथा विभागीय पत्रांक-8574 दिनांक-02.08.2017 द्वारा इन्हें स्मारित भी किया गया, जिसके अनुपालन में श्री भगत से प्राप्त पत्र दिनांक-22.08.2017 द्वारा अपना पक्ष एवं बचाव-बयान समर्पित करने हेतु एक माह का समय देने का अनुरोध किया गया।

4 श्री भगत द्वारा अपना पक्ष एवं बचाव-बयान दिनांक-04.09.2017 को इस विभाग में समर्पित किया गया। समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक-10584 दिनांक-13.10.2017 द्वारा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से आरोपपत्र से सम्बन्धित कतिपय सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक-4886 दिनांक-23.11.2017 द्वारा श्री नरेन्द्र मिश्र, भा०व०से० (सम्प्रति-सेवानिवृत्त) के विरुद्ध आरोप से सम्बन्धित संचिका- भा०व०से० (आ०)- 133/2023 का दिनांक-31.01.2012 से 26.08.2013 तक की टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया।

5. पुनः विभागीय पत्रांक-12353 दिनांक-18.12.2017 द्वारा श्री भगत के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के सम्बन्ध में निम्नांकित बिन्दुओं पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया :-

- क) श्री नरेन्द्र मिश्र, सेवानिवृत्त भा०व०से० के विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने संबंधी केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पटना बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2013 के उपरांत इस संबंध में शांति अधिरोपन की कार्रवाई हेतु संचिका उपस्थापन का औचित्य।
- ख) केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पटना बेंच द्वारा दिनांक 14.05.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई अथवा नहीं, अद्यतन फलाफल सहित।
- ग) श्री मिश्र के विरुद्ध दिनांक 04.02.2012 को दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने संबंधी शांति अधिरोपन के निर्णय का औचित्य, जबकि उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.10.2012 निर्धारित था। साथ ही उक्त क्रियान्वयन नहीं किये जा सकने लायक शांति अधिरोपन पर संघ लोक सेवा आयोग का आदेश प्राप्त करने की कार्रवाई का औचित्य।
- घ) केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, पटना बेंच द्वारा श्री मिश्र के विरुद्ध आरोप पत्र तथा विभागीय कार्यवाही निरस्त करने की पुष्टि दिनांक 14.05.2013 को पारित आदेश में कर दिया गया। तदुपरांत दिनांक 30.10.2013 से दिनांक 31.03.2016 तक अर्थात् लगभग 2½ वर्षों तक श्री भगत, अवर सचिव द्वारा संबंधित संचिका को लंबित रखने का उल्लेख आरोप पत्र में करने का औचित्य।

उपर्युक्त बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक-905 दिनांक- 2.02.2018, पत्रांक-1688 दिनांक 07.03.2018 एवं पत्रांक- 4012 दिनांक- 15.06.2018 द्वारा स्मारित किया गया।

6. विभागीय पत्रांक-12353 दिनांक-18.12.2017 के अनुपालन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक-4199 दिनांक-09.10.2018 द्वारा वांछित बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नवत् उपलब्ध कराया गया :-

- (क) श्री नरेन्द्र मिश्रा के विरुद्ध माननीय CAT न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सूचना विभाग को तब मिली जब उनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रस्तावित दण्ड पर किये गए द्वितीय कारण पृच्छा पर उनका स्पष्टीकरण वर्ष 2016 में प्राप्त हुआ।
- (ख) याचिका दायर करने की कार्यवाई प्रक्रियाधीन है।
- (ग) श्री मिश्रा के विरुद्ध दि०-04.02.2012 को दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त (अनुशासनिक प्राधिकार) द्वारा लिया गया।

जहाँ तक सेवानिवृत्ति का प्रश्न है, तो शास्ति अधिरोपण सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी AIS (Death-cum- Retirement) Rule 6(1) (a) के तहत किया जा सकता है, जिसपर भी UPSC की सहमति आवश्यक है।

- (घ) माननीय CAT न्यायालय द्वारा श्री मिश्रा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही निरस्त करने की सूचना वर्ष 2016 में श्री मिश्रा द्वारा उनसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर द्वितीय कारण पृच्छा में दी गई थी। संस०-भा०व०से० (आ०)-133/2003 में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दि०-04.02.2012 को श्री मिश्रा के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड के बिन्दु पर UPSC से सहमति प्राप्त नहीं होने तथा संचिका लम्बित रहने के कारण विभागीय जाँच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में आरोप पत्र गठित किया गया।

7. पुनः विभागीय पत्रांक-1246 दिनांक-11.02.2019 द्वारा श्री भगत के विरुद्ध प्रसंगाधीन मामले में श्री नरेन्द्र मिश्रा, सेवानिवृत्त भा०व०से० के शास्ति अधिरोपण पर अग्रतर कार्यवाई नहीं करने सम्बन्धी आरोप-पत्र का गठन के औचित्य के सम्बन्ध में वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग से मंतव्य की माँग की गई एवं पत्रांक-4872 दिनांक-20.06.2019, 7707 दिनांक-24.09.2019, 10211 दिनांक- 23.12.2019, 1782 दिनांक-05.03.2020, 3015 दिनांक-29.06.2020, 5426 दिनांक-27.10.2020, 3049 दिनांक-07.07.2021, 1377 दिनांक-04.03.2022 एवं पत्रांक-3436 दिनांक-01.06.2022 द्वारा स्मारित किया गया, परन्तु प्रशासी विभाग द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

8. इस मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई, समीक्षोपरांत श्री भगत के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-3710 दिनांक-28.06.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया।

9. विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक- 115 दिनांक-15.12.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी का निष्कर्ष निम्नवत है:-

“उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है श्री भगत के पास यह संचिका 07.11.2013 से 29.01.2015 तक ही थी। परन्तु इसके आगे का कोई प्रमाण न तो कोई साक्ष्य संलग्न की गई है और न ही तत्कालीन जाँच पदाधिकारी द्वारा इसका आधार बताया गया है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा श्री आलोक कुमार को दिए गए स्पष्टीकरण में दिया गया है कि संचिका उनके द्वारा जानबूझकर नहीं दबाई गई है। अर्थात् आरोपी का प्रथम खण्ड संचिका दबाने का 07.11.13 से 29.05.15 तक ही प्रमाणित है। इसके बाद का समय में संचिका विधि शाखा में होने का परिस्थितिजन्य साक्ष्य है। जहाँ तक राजस्व क्षति का प्रश्न है, इसकी नींव विधि शाखा द्वारा इनके आरोप शाखा में योगदान देने के पूर्व ही रख दिया गया था। अतः ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह संचिका उपलब्ध नहीं थी, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई और उसके परिणाम स्वरूप राजस्व की क्षति हुई अर्थात् राजस्व क्षति का आरोप अप्रमाणित होता है।”

10 श्री भगत, उप सचिव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री विजय कुमार भगत, तत्कालीन अवर सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सम्प्रति-उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

11. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गुलाम सरवर,
सरकार के अवर सचिव।
